



**सराहनीय कार्य कानपुर देहात**

**दिनांक- 10.10.2026**

➤ थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए SBI बैंक राजपुर के बाहर खड़ी वादी की मोटरसाइकिल के बैग से 01 लाख रुपये की चोरी करने वाले 01 शातिर चोर को चोरी के ₹ 26,400/- नगद सहित किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में चोरी की घटना की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 08.10.2026 को थाना राजपुर पर वादी श्री कोमल सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम कमलपुर, थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर दिनांक 07.10.2026 को SBI बैंक राजपुर के बाहर खड़ी वादी की टीवीएस मोटरसाइकिल की डिग्गी से ₹1,00,000/- किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दी गयी । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 112/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । दौरान विवेचना अभियुक्त सुरेश पुत्र अच्छेलाल निवासी ग्राम गहेसर थाना दिबियापुर, जनपद औरैया का नाम प्रकाश में आया। मुकदमा उपरोक्त में थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिरखास की सूचना पर अभियुक्त सुरेश उपरोक्त को थाना राजपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम अनंवा से जालौन जाने वाली सड़क से आज दिनांक 10.10.2026 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण की जामा तलाशी से चोरी के ₹ 26,400/- नगद बरामद किए गए । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

**पूछताछ अभियुक्तगण-** पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैं अपने साथी दीपू कटियार पुत्र सुरेश निवासी ग्राम गहेसर थाना दिबियापुर जनपद औरैया के साथ मिलकर चोरी करता हूँ । पहले मैं और मेरा साथी बैंकों के पास रेकी करते हैं और रेकी कर जानकारी करते हैं कि कौन व्यक्ति बैंक से ज्यादा पैसे निकाल रहा है फिर हम दोनों उस व्यक्ति के आस-पास ही रहते हैं तथा पैसों को चोरी करने का मौका ढूँढ़ते हैं। जैसे ही हम लोगों को मौका मिलता है हम लोग पैसा चोरी करके लोगों की नजरों से बचते हुए निकल जाते हैं तथा चोरी के पैसों को हम लोग खाने-पीने में खर्च कर देते हैं । दिनांक 07.10.2026 को दोपहर के समय भी हम दोनों ने एसबीआई कस्बा राजपुर के पास से एक मोटरसाइकिल की डिग्गी से पैसों से भरा बैग चोरी किया था। उस बैग से हम लोगों को ₹1,00,000/- मिले थे और बैग में कुछ कागज भी थे। हम लोगों ने बैग से पैसे निकाल लिये और बैग को ले जाकर नदी में फेंक दिया था। बैग से मिले रुपयों को हम लोगों ने आपस में बराबर बांट लिया था, जिसमें से मेरे हिस्से में ₹50,000/- आए थे । मेरे पास से जो यह रुपये बरामद हुए हैं, वह उसी चोरी से प्राप्त रुपये हैं तथा मैंने बाकी के रुपये खाने-पीने में खर्च कर दिए हैं । आज मैं अनंवा रोड से होकर जालौन जा रहा था जहां रास्ते में मुझे दीपू मिल जाता लेकिन आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

**अभियुक्त सुरेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 472/2017 धारा 392, 395, 412 भादवि0 थाना भरथना, जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 540/2017 धारा 10, 12 उ0प्र0 डकैती प्रभावी क्षेत्र अधि0 व धारा 147, 148, 149, 307, 420, 467, 468, 471 भादवि0 थाना भरथना, जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 080/2018 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना भरथना, जनपद इटावा।
4. मु0अ0सं0 332/2017 धारा 379 भादवि0 थाना जालौन जनपद जालौन ।
5. मु0अ0सं0 619/2019 धारा 379, 411 भादवि0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0 535/2019 धारा 399, 402, 411 भादवि0 थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

7. मु0अ0सं0 287/2020 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
8. मु0अ0सं0 150/2023 धारा 379, 411 भादवि0 थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
9. मु0अ0सं0 0604/2008 धारा कोतवाली तिर्वा जनपद कन्नौज।
10. मु0अ0सं0 0606/2008 धारा कोतवाली तिर्वा जनपद कन्नौज।
11. मु0अ0सं0 188/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना भरथना जनपद इटावा।
12. मु0अ0सं0 190/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।
13. मु0अ0सं0 112/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

**बरामदगी का विवरण-**

1. जामा तलाशी से चोरी के ₹ 26,400/- नगद।

**गिरफ्तार करने वाली थाना राजपुर पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री गुरेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार
3. हे0का0 579 विवेक तोमर
4. रि0का0 648 शिवा
5. रि0का0 310 रजत
6. रि0का0 750 अभिषेक धाकरे।